बिहार सरकार

राजस्व पर्षद, बिहार

संविदा पर नियोजन हेतु सूचना।

राजस्व पर्षद, बिहार को अपने कार्यालय के सदृढीकरण, परीक्षा संबंधी कार्यो हेतु तथा अपने अभिलेखागार के प्रयोजनार्थ विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता है जो बिहार सरकार से सेवानिवृत हुए हों। इन पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके कार्य अनुभव के आधार पर राजस्व पर्षद में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2804 दिनांक–29.03.2010 एवं 10000 दिनांक–10.07.2015 एवं निरूपित संगत प्रावधान के आलोक में संविदा पर रखा जाना है। इन पदाधिकारियों/कर्मचारियों को राजस्व पर्षद के निदेशानुसार कार्य करना होगा।

इस हेतु राजस्व पर्षद को निम्नलिखित कोटि के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

क्र.सं.	पदनाम	पद की सूची	सेवानिवृति वाले पद की अहर्त्ता
1	प्रशाखा पदाधिकारी	01	सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत।
2	सहायक	10	सचिवालय सेवा के सहायक पद से सेवानिवृत।
3	उच्चवर्गीय लिपिक	02	सचिवालय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक से सेवानिवृत।
4.	आप्त सचिव/ निजी सहायक	03	सचिवालय सेवा के सेवानिवृत आप्त सचिव/ निजी सहायक से सेवानिवृत।
5	अभिलेखवाह	01	सचिवालय अभिलेखागार से सेवानिवृत कर्मचारी।

शर्त्तेः–

1. नियोजन की अवधि 01 (एक) वर्ष होगी। बाद में कार्य की आवश्यकता पदाधिकारी/ कर्मचारी की कार्यक्षमता एवं उनकी उपयोगिता को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
2. आयु सीमा – इच्छूक पदाधिकारी/ कर्मचारी की अधिकतम आयु 01 जनवरी 2017 को 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. नियोजन की अन्य शर्त्ते तथा पारिश्रमिक भुगतान की राशि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

4. सामान्यतः संविदा पर नियोजित किए गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पटना में हीं कार्य करना होगा। किन्तु कार्य की आवश्यकता को देखते हुए अन्य जिलों में दौरे अथवा निरीक्षण/सर्वेक्षण हेतु भी भेजा जा सकता है।

5. चयन का आधारः- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र संख्या-3815 दिनांक-11.03.2016 में निहित दिशा निर्देशों के आलोक में विभागीय चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा। विभागीय चयन समिति द्वारा आदर्श आरक्षण रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जायेगा।

6. प्राप्त आवेदनों पर नियोजन हेतु पदवार पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें कोटिवार रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पर विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में नियोजन किया जाएगा।

7. आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र/पी.पी.ओ./सेवा इतिहास/सेवा पुस्त की छायाप्रति (स्वअभिप्रमाणित) एवं सेवानिवृत्ति से पूर्व में 5 वर्षो का गोपनीय चारित्रिक अभ्युक्ति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

8. नियोजन के समय स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि "मेरे विरूद्ध कोई निगरानी/ अपराधिक मामला किसी न्यायालय में दर्ज नहीं है और सरकार के द्वारा कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है।"

9. नियमित नियुक्ति (यथा सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति के उपरांत नियुक्ति) के उपरांत पदस्थापन होते हीं संविदा पर नियोजन कर्मी/ पदाधिकारी की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।

10. विभागीय चयन समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए चयन प्रक्रिया को किसी भी समय रदद् कर सकता है।

11. आवेदन पत्र को स्वीकार/ अस्वीकृत करने का अधिकार पर्षद के पास सुरक्षित रहेगा इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की पैरवी की स्थिति में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

12. इच्छुक पदाधिकारी/ कर्मचारी निम्नलिखित प्रारुप में सादे कागज पर टंकित आवेदन राजस्व पर्षद को आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अवधि दिनांक-20.01.2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक राजस्व पर्षद कार्यालय में हाथों हाथ या डाक से भेज सकते है।

सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

C:\Users\KAVITA\Desktop\kun\Advertisment-06-12-16.docx

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम :–

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :–

3. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :–

4. पिता/ पति का नाम :–

5. जन्म तिथि :–

6. लिंग :–

7. आरक्षण :–
(सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही अनुमान्य होगा)

8. शैक्षणिक योग्यता :–

9. कार्य अनुभव :–

10. पत्राचार का पता :–

11 स्थायी पता :–

12 मोबाईल नं0/ ई–मेल :–

13. सेवा संवर्ग जिससे सेवानिवृत हुए है। :–

14. सेवानिवृति की तिथि :–

15 कार्यालय/ विभाग का नाम, जहाँ से सेवानिवृत हुए है :–

हाल का रंगीन
स्वअभिप्रमाणित
फोटो

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई निगरानी मामला/ विभागीय कार्यवाही/ विचाराधीन गंभीर आरोप/ अपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इस आवेदन में अंकित सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। भविष्य में यदि मेरे द्वारा समर्पित कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/ नियोजन बिना कोई सूचना के रद्द् करते हुए विधिक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान :–

दिनांकः–

आवेदक का हस्ताक्षर